कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/ 115–720/26 रायपुर, दिनांक 07/01/2020

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
कांकेर वन मंडल, कांकेर
छत्तीसगढ़

विषय: – **Diversion of Forest land for Non-Forest under Forest Conservation Act 1980 proposed for Govt. Polytechnic Building for Skill upgradation Area 4.309 ha. reg.**
पंजीयन क्रमांक – **FP/CG/Road/27773/ 2017**

संदर्भ: छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–22/ 2019/ 10–2 दिनांक 24.12.2019

=0=

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। विषयांकित प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा 5 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

अतएव संदर्भित पत्र में दर्शाये अनुसार बिन्दुवार जानकारी मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

तदानुसार पुनरीक्षित प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु प्रस्ताव 4 प्रतियों में मूलतः संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– प्रस्ताव एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे
4 प्रतियों में।

(मुख्य वन संरक्षक)
वास्ते अ.प्र.मु.व.स.(भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–720/27 रायपुर, दिनांक 07/01/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. **मुख्य वन संरक्षक**, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. **प्राचार्य**, शासकीय पॉलीटेक्निक, नाथिया नवागांव, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़।

(मुख्य वन संरक्षक)
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
o/c छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–22/2019/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर दिनांक 24/12/2019

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छत्तीसगढ़ , अरण्य भवन,

सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,

नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय :– Diversion of Forest land for Non-Forest under Forest Conservation Act 1980 proposed for Govt. Polytechnic Building for Skill upgradation Area 4.309 ha.-reg.

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–720 /2882, दिनांक 23.11.2019।

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव के परीक्षण में निम्न बिंदुओं पर त्रुटियां परिलक्षित हो रही है :–

1. संदर्भित पत्र के बिंदु क्र. 18 में मुख्य वन संरक्षक कांकेर के पत्र दिनांक 16.08.2019 का हवाला देते हुए लेख किया गया है कि वनमंडलाधिकारी कांकेर द्वारा पूर्व में पत्र दिनांक 03.05.2013 के माध्यम से प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कांकेर को 0.999 हे. वन भूमि व्यपवर्तन की अनुमति दी गई है जिसमें शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण किया गया है। उपरोक्त व्यपवर्तित 0.999 हे. मे 3.310 हे. जोड़कर कुल 4.309 हे. के व्यपवर्तन की अनुमति राज्य शासन स्तर से चाही गई है। उक्त बिंदु क्र. 18 में उल्लेखित वनमंडलाधिकारी कांकेर के अनुमति पत्र दिनांक 03.05.2013 एवं मुख्य वन संरक्षक कांकेर के पत्र दिनांक 16.08.2019 की छायाप्रति तथा वनमंडलाधिकारी कांकेर के उक्त पत्र दिनांक 03.05.2013 में निहित शर्तों का अद्यतन पालन प्रतिवेदन प्रेषित करें।

2. उपरोक्त बिंदु से यह स्पष्ट है कि 0.999 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन हो चुका है ऐसी स्थिति में उसी क्षेत्र को दोबारा क्यों व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है ? पूर्व की अनुमति का उल्लेख करते हुए शेष वन क्षेत्र 3.310 हे. का प्रस्ताव, अतिरिक्त मांग (औचित्य सहित) के रुप में प्रेषित करें।

3. वनमंडलाधिकारी कांकेर द्वारा पूर्व में 0.999 हे. व्यपवर्तित वन क्षेत्र का NPV लिया गया होगा किंतु अब पुनः उक्त 0.999 हे. भूमि को जोड़कर 4.309 हे. के प्रस्ताव में पृष्ठ क्र. 114 में NPV की गणना की गई है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।

4. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 71 में आवेदित वन भूमि की मदवार आवश्यकता का ब्यौरा दिया गया है। इसमें शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हेतु 0.231 हे. दर्शाया गया है तथा पूर्व में व्यपवर्तित 0.999 हे. वन भूमि में कितनी कितनी भूमि किस–किस नाम से उपयोग की गई है मदवार ब्यौरा प्रेषित करें तथा मदवार ब्यौरा में अतिरिक्त 3.310 हे. किस–किस मद में आबंटित है। इसका विस्तृत ब्यौरा प्रेषित करे।

APCCF (L/M)

PCCF

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
आवक क्र. 57
दिनांक 03-01-2020
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

क्रमशः : 2

5. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 30, 31 में वन भूमि की आवश्यकता को न्यूनतम बताया गया है जबकि मुख्य वन संरक्षक कांकेर के पत्र दिनांक 16.08.2019 अनुसार पूर्व में व्यपवर्तित 0.999 हे. वन भूमि में शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण किया जा चुका है। कृपया न्यूनतम आवश्यकता संबंधी प्रमाण पत्र पर उचित कारण दर्शाते हुए टीप प्रेषित करे।

2/— उपरोक्त त्रुटियों को सुधार कर संशोधित प्रस्ताव की ऑन लाईन प्रविष्टि पश्चात् संशोधित प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु विषयांकित प्रस्ताव मूलतः वापस किया जा रहा है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार ।
(प्रस्ताव 3 प्रतियों में)

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक/एफ 5—22/2019/10—2
नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 24/12/2019

प्रतिलिपि :—

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध), अटल नगर, रायपुर, छतीसगढ़।
2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
3. वनमंडलाधिकारी, कांकेर वनमंडल, कांकेर, छत्तीसगढ़।
4. आवेदनकर्ता, प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, कांकेर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

24.12.19
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग

विधि 7

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्या. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
नया रायपुर छ.ग.
आवक क्र.
दिनांक